असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं

को लागू कराने के लिए
जनहित याचिका 2810/12 में
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
ने दिनांक 28.11.2014 को पारित आदेश

केवल जागरूकता के लिए

'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्रकाशन वर्ष : 2015

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए सम्बंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन, डोरण्डा, राँची (0651-2482392) Web. : www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com फैक्स : 0651-2482397(जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क

झालसा द्वारा जनहित में जारी

यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची ने जनहित याचिका 2810/12 में न्याय कोरम – **माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल एवं माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रॉगंन मुखोपाध्याय** ने 20.11.2014 को पारित आदेश में कहा :–

1. झारखण्ड सरकार के श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग तथा जीवन बीमा निगम मिलकर असंगठित कर्मकारों के लिए अधिनियम (असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008) में बनी योजनाओं को लागू करेंगे।
2. झारखण्ड सरकार को आदेश दिया जाता है कि वह झारखण्ड राज्य विधिक सेव प्राधिकार के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पारा लीगल वॉलन्टियर्स की सेवा लें।
3. झारखण्ड सरकार को आदेश दिया जाता है कि कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जनजागरूकता फैलाने के लिए पैम्पलेट/बुकलेट बनाने में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की मदद करें तथा दृश्य और श्रव्य माध्यमों द्वारा योजनाओं का प्रचार–प्रसार करें एवं इस वास्ते एल.ई.डी. डिस्प्ले बोर्ड भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों, व्यवहार न्यायालय परिसर, अस्पताल, पंचायत, प्रखंड कार्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाया जाये।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत योजनाएँ :–

1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
2. राष्ट्रीय पारिवारिक प्रोत्साहन योजना।
3. जननी सुरक्षा योजना।
4. हस्तकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना।
5. Handicraft Artisans' Comprehensive Welfare Scheme.
6. Pension to Master Craft Persons.
7. मछुआरों के कल्याण एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना।
8. जनश्री बीमा योजना।
9. आम आदमी बीमा योजना।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

राष्ट्रीय पारिवारिक हितलाभ योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) जीवन बसर करने वाले परिवार के मुखिया/अर्जनकर्त्ता, जिनकी मृत्यु 18-59 वर्ष के बीच होती है, के आश्रितों को 20,000/- (बीस हजार) रूपये का एक मुश्त में सहायता अनुदान दिया जाता है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्त्ता, जिनकी मृत्यु 18-59 वर्ष के बीच होती है, उसके आश्रितों को एक मुश्त 20,000/- (बीस हजार) रूपये का लाभ इस योजना के अंतर्गत मिलता है।

योजना का लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे संपर्क करें ?

प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/उपायुक्त/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क किया जा सकता है।

विधिक सहायता के लिए संपर्क करें :-

नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र। दूरभाष संख्या - 0651-2491341

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

1. **योजना क्या है ?**

   सार्वजनिक संस्थानों (सरकारी अस्पताल) में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह नि:शुल्क नॉर्मल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव का हक मिलता है। यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क है।

2. **योजना का लाभ क्या है महिलाओं के लिए ?**

- गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क एवं बिना खर्च के प्रसव और सीजेरियन ऑपरेशन
- नि:शुल्क दवाईयाँ और इस्तेमाल के लिए अन्य वस्तुएँ
- नि:शुल्क आवश्यक निदान (रक्त, मूत्र जाँच और अल्ट्रासोनोग्राफी इत्यादि)
- स्वास्थ्य संस्थान में ठहरने के दौरान (सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन और सीजेरियन प्रसव के लिए 7 दिन तक) नि:शुल्क आहार।
- नि:शुल्क रक्त का प्रावधान
- घर से अस्पताल तक नि:शुल्क परिवहन
- रेफरल के मामले में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच नि:शुल्क परिवहन
- अस्पताल में 24 घंटे रहने के बाद घर वापस जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन
- सभी तरह के सेवा शुल्क से छूट

3. **योजना का लाभ जन्म के बाद से एक साल तक बीमार बच्चे के लिए :-**

- नि:शुल्क और बिना खर्च के उपचार
- नि:शुल्क दवाईया और इस्तेमाल के लिए अन्य वस्तुएँ
- नि:शुल्क निदान

- नि:शुल्क रक्त का प्रावधान
- घर से अस्पताल तक नि:शुल्क परिवहन
- रेफरल के मामलें में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच नि:शुल्क परिवहन
- अस्पताल से घर वापस जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन
- सभी तरह के सेवा शुल्क से छूट

4. योजना के लाभ के लिए कहाँ और किनसे संपर्क करें ?

सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर अस्पताल, सभी सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी, सिविल सर्जन।

5. विधिक सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें ?

नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय अथवा ग्रामीण विधिक सहायता केन्द्र।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना का स्वरूप एवं पात्रता :-

इस योजनान्तर्गत वैसे व्यक्ति जो 40-79 वर्ष के है तथा उनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित हो, या जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 7,995 रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 9,974 रू0 हो उन्हें प्रतिमाह 600 रू0 की दर से प्रति व्यक्ति पेंशन का भुगतान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

इन लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से संपर्क किया जा सकता है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

योजना का स्वरूप एवं पात्रता :-

इस योजनान्तर्गत वैसे व्यक्ति जो 18-79 वर्ष के है तथा उनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित हो, या जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 7,995 रू0 तथा शहरी क्षेत्र में 9,974 रू0 आय वाले 80% विकलांगता धारण करने वाले व्यक्ति को 600 रू0 की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

इन लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना का स्वरूप एवं पात्रता :-

इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्त, वृद्ध, वृद्धा तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा, विकलांग विमुक्त बंधुआ मजदूरों को, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500 रू0 एवं शहरी क्षेत्र में 12,500 रू0 से अधिक नहीं हो उन्हें 600 रू0 की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

इन लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक

सुरक्षा कोषांग/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया सहित पाँच सदस्यों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सालाना रू0 30,000/- तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है। यह योजना कैशलेस है।

योजना के लिए अर्हता क्या है ?

जो बी0पी0एल0 परिवार हो, मनरेगा कर्मी (जिन्होंने उस वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक कार्य किया हो), घरेलू कामगार, बीड़ी मजदूर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो श्रम विभाग से पंजीकृत हों, फेरी वाले, कचरा चुनने वाले, सफाई कर्मी जो श्रम विभाग अथवा नगर निगम से पंजीकृत हों, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राईवर शामिल हैं।

योजना का लाभ क्या-क्या है ?

1. परिवार के मुख्या सहित पाँच लोगों का सूचीबद्ध सरकारी एवं नीजि अस्पतालों में नि:शुल्क ईलाज।
2. 1990 बीमारियों का अस्पतालीकरण मुफ्त।
3. जब तक मरीज भर्ती रहेगा अस्पतालों द्वारा नि:शुल्क भोजन दिया जायेगा।
4. आने-जाने के लिए अस्पताल द्वारा 100/- रूपये भाड़ा दिये जायेंगे।
5. नि:शुल्क दवाईयाँ दी जायेगीं। घर जाने पर अतिरिक्त पाँच दिनों की दवा मुफ्त दी जायगी।
6. स्मार्ट कार्ड से पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ईलाज कराया जा सकता है।
7. यदि परिवार के सदस्य दो स्थानों में रहते हैं तो दो कार्ड बनवा कर इसकी राशि विभाजित कराई जा सकती है।

लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे सम्पर्क करें ?

1. क्षेत्र के आँगनबाड़ी सेविका/सहिया,
2. प्रखण्ड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,
3. जिले में डी0के0एम0/डी0पी0एम0/सहयक श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त/श्रम भवन, डोरण्डा, जसलॉज, राँची।
4. कार्यालय दूरभाष संख्या-0651-2480485, टॉल फ्री नम्बर-18003456540

विधिक सहायता के लिए सम्पर्क करें :-

जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र।

बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास

योजना का स्वरूप एवं पात्रता :-

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विमुक्त बंधुआ मजदूरों को जिला में गठित जिला स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुसंशित किये जाने के पश्चात् पुर्नवास के निमित्त 20,000 रू0 का व्यय किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

इन लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची एवं सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम

इसके अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ हैं ?

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के माध्यम से निम्न दो योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं :-

1. **आदर्श मछुआरा ग्राम का विकास :-** यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विमुक्त राशि के अधीन उन गरीब मछुआरों को पक्का आवास की सुविध उपलब्ध कराई जाती है, जिनका मकान कच्चा है। वर्तमान में एक आवास हेतु 50,000/- रू0 सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में देय है। आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं कराया जाता है। लाभुकों को अधिकतम चार किस्तों में चेक के द्वारा राशि भुगतान की जाती है। लाभुकों का चयन जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटि के द्वारा किया जाता है। आवासों का निर्माण कम से कम 10 आवासों के क्लस्टर के रूप में कराया जाता है। प्रत्येक 20 आवास पर एक चापाकल की अनुमान्यता है।

आवेदन कैसे एवं कहाँ करें ?

प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में इसके लिये आवेदन पत्र उपलब्ध है और सुसंगत कागजातों के साथ संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। आवेदन के साथ लाभुक का फोटो, वर्तमान आवास का फोटोग्राफ यदि हो तो एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

नोट : भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत आवास की इकाई लागत मो0 75,000/- रू0 निर्धारित की गई है, जिसका आधा व्ययभार केन्द्र सरकार वहन करेगी। अभी यह योजना विभाग में नये दर पर स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

2. **सक्रिया मछुआरों का सामूहिक आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना:-**

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सक्रिय मछुआरों को बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। बीमित को कोई राशि प्रीमियम स्वरूप भुगतान नहीं करना होता है। प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार मिलकर वहन करती है। लाभुकों की आकस्मिक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में उनके वैध आश्रित को 1,00,000/- रू0 का भुगतान तथा स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में लाभुक को 50,000/- रू0 का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के पास इसके फॉर्म उपलब्ध हैं। मृत्यु की स्थिति में पूर्ण भरे हुये दावा प्रपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, थाना-एफ0आई0 आर0 की प्रति, मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सदस्यता अथवा अन्य सुसंगत प्रमाण पत्र तथा वैध उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। पूर्ण स्थायी अपंगता अथवा आंशिक स्थायी अपंगता का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन के कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक है।

नोट :- भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना अंतर्गत मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 2,00,000/- रू0 एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में मो0 1,00,000/- रू0 का दावा भुगतान निर्धारित किया गया है। अभी यह योजना विभाग में नये दर पर स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

हस्तकरघा बुनकर समग्र कल्याण योजना

स्वास्थ्य बीमा योजना

1. योजना क्या है ?

यह योजना बुनकरों के लिए है। इस योजना के तहत एक बुनकर परिवार के पति, पत्नी एवं दो बच्चों समेत कुल चार व्यक्तियों को बीमा का लाभ बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित बुनकर परिवार

को रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) तक की राशि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें से मात्र 50/- रूपया अनुदान राशि बुनकर को देना होता है। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय है।

2. योजना का लाभ पाने हेतु अर्हता क्या है ?

यह योजना बुनकरों के लिए है और बुनकर ही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3. लाभ पाने के लिए अधिक जानकारी हेतु कहाँ और किससे सम्पर्क करें ?

निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड अथवा झारक्राफ्ट कार्यालय, राँची।

4. विधिक सहायता के लिए सम्पर्क करें :-

जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय अथवा ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र।

महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

1. योजना क्या है ?

महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है।

2. योजना के लिए योग्यता क्या है ?

हथकरघा बुनकरों के लिए यह योजना है।

3. योजना का लाभ क्या है ?

(i) स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमित बुनकर के आश्रित को रू0 60,000/- (साठ हजार रूपये) का भुगतान।

(ii) दुर्घटनावश मृत्यु / पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमित बुनकर या आश्रित को रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) का भुगतान।

(iii) दुर्घटनावश आंशिक निशक्तता की स्थिति में रू0 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये) भुगतान।

4. लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे सम्पर्क करें ?

निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड अथवा झारक्राफ्ट कार्यालय, राँची / प्रखंड के जीवन बीमा कम्पनी (LIC) कार्यालय में।

5. विधिक सहायता के लिए सम्पर्क करें :-

जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय अथवा ग्रामीण कानून देखभाल एवं सहायता केन्द्र।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना क्या ?

इस योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है तथा जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित है, 600/- (छः सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है तथा जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, एवं जो बी0पी0एल0 सूची में शामिल है, उनको 700/- (सात सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

इस योजना का लाभ केवल बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

योजना का लाभ पाने की अर्हता क्या है ?

इस योजना का लाभ केवल बी0पी0एल0 सूची में दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जाता है।

योजना का लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे संपर्क करें ?

इस सभी लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग /उपायुक्त/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क किया जा सकता है।

विधिक सहायता के लिए संपर्क करें :-

नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र। दूरभाष संख्या - 0651-2491341

आम आदमी बीमा योजना

योजना क्या है ?

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्त्ता का, जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो, जिसकी बास भूमि मिलाकर 50 डिसमील से कम हो, बीमा किया जाता है।

बीमा आवेदन पत्र लाभुक के द्वारा दो प्रतियों में भरा जायेगा तथा **ग्रामीण भूमिहीन परिवार के पहचान हेतु आवेदन पत्र** की एक प्रति अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी के माध्यम से अंचल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। तत्पश्चात अंचलाधिकारी द्वारा सुयोग्य आवेदकों का चयन करेंगे। भरे गये आवेदन पत्रों की प्रति उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी/District Key Manager को अनुशंसा के लिए भेजे जायेंगे। तत्पश्चात आवेदन पत्रों की दूसरी प्रति अंचलाधिकारी के पास भेजी जायेगी। अंचल अधिकारी से लाभुक संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के लिए अर्हता क्या है ?

ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया या मुख्य अर्जनकर्त्ता का, जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो, बीमा किया जाता है। जिसकी बास भूमि मिलाकर 50 डिसमील से कम हो, बीमा किया जाता है।

योजना का लाभ क्या-क्या है ?

- बीमित व्यक्ति के स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/- (तीस हजार) रूपये की राशि उसके आश्रितों को दी जाती है।
- दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में (अर्थात 2 अंग खोने पर) उन्हें 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये की दर से राशि दी जाती है।
- आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये की राशि दी जाती है।
- बीमित व्यक्तियों के दो बच्चों को, जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं अथवा आई0टी0आई0 में पढ़ते हैं, 4 वर्ष के लिए 100/- (एक सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
- इस योजना के लिए बीमित व्यक्तियों को कोई राशि नहीं देनी होती है।

लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे संपर्क करें ?

लाभ पाने के लिए समुचित जानकारी हेतु अंचल अधिकारी, कार्यालय/ अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ उपायुक्त/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क किया जा सकता है।

विधिक सहायता के लिए संपर्क करें :-

नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र।

दूरभाष संख्या - 0651-2491341

सूचना : यह सामग्री केवल जन–जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।